M.P.Yadava, Distt. & Addl.S.J- IX, Katihar, Court No.-10
S.T. No- 02/2025, Barari P.S. Case No.- 251/2024, G.R.No.- 4520/2024

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जिलाः—कटिहार, (बिहार)

Session Trial No.- 02/2025

G.R.No.- 4520/2024, CIS No.- 2490/2024

सरकार द्वारा (नरसिंह राव पिता स्व0 रामदेव साह)
सा0 मौ0ः— चन्दन नगर, थानाः— बरारी,
जिलाः— कटिहार, बिहार। ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार पिता राजेन्द्र कापरी उर्फ टुन्ना डीलर, उ0त0 25 वर्ष,
सभी निवासी सा0 मौ0ः— चन्दन नगर, थानाः— बरारी,
जिलाः— कटिहार, बिहार।..बचाव पक्ष।

थानाः— सेमापुर (बरारी)।
प्राथमिकी संख्याः— 251/2024 दिनांक— 26.08.2024।
प्राथमिकी अन्तर्गत धाराः— 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 308(3), 351(2) B.N.S
संज्ञान अन्तर्गत धाराः— 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 317(2), 351(2) B.N.S
आरोप अन्तर्गत धाराः— 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(3), 317(2), 351(2) B.N.S
अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताः— श्री......................... सरदार यशवंत सिंह।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताः—श्री......................................अजीत कुमार मोदी।
निर्णय तिथिः 29.04.2026
उपस्थितिः महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(3), 308(3), 351(2) भा0न्या0सं0 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में सूचक के सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे सूचक जख्मी हो गया तथा सोना—चांदी और मोटरसाईकिल छीन लिया।
2. अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि सूचक नरसिंह राव ने दिनांक 26.08.2024 को थाना प्रभारी सेमापुर को लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 24.08.2024 को समय करीब 08 बजे में मैं दुकान बन्द कर वापस घर जा रहा था। मेरे घर वापस जाने के क्रम में पहले से घात लगाकर बैठे चार अपराधी जिसका नाम नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू तथा तीन अपराधी को नहीं पहचान पाए। यह पहले भी मेरे दुकान पर आकर रंगदारी की मांग करता था। मेरे घर जाने के क्रम में करीब रात्रि 08:15 बजे में चन्दन नगर मोड़ के पहले मेरा रास्ता घेर लिया उसके बाद बन्दूक मेरे कनपट्टी में सटा दिया वह मुझे गोली मारना चाह रहा था तभी उसके पीछे खड़ा उसका साथी उसी समय किसी धारदार हथियार से मेरे सिर पर मार दिया जिससे मैं अचेत होकर गिर गया। जिसके बाद वह मेरे कारीगर को जिसका नाम राजेश साह है जो मेरे यहां काम करता है जिसके पास मेरा एक थैला था, जिसमें सोने, चांदी का बना जेवर जिसका वजन सोना दो भर, चांदी 400 ग्राम था। मेरे कारीगर को धारदार हथियार से सिर पर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया उसका सिर फट गया और खून बहने लगा और वह बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद वह लोग मेरे जेवर से भरे थैला और मेरा मोटरसाईकिल लेकर भाग गए। मेरा मोटरसाईकिल Bajaj CT 100 जिसका नंबर BR39Y 3076 था।
3. सूचक नरसिंह राव के लिखित आवेदन के आधार पर सेमापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 308(3), 351(2) भा0न्या0सं0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त प्राथमिकी अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार के

Web copy of Court Katihar

विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 94/2024 दिनांक 28.09.2024 भा0न्या0सं0 की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 351(2), 317(2) के अंतर्गत आरोपित करते हुए न्यायालय में समर्पित किया गया तथा न्यायालय में समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम, कटिहार द्वारा दिनांक 01.10.2024 को अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू के विरूद्ध भा0न्या0सं0 की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 351(2), 317(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया तथा मामले को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया।

4. अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार के विरूद्ध इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.02.2025 को भा0न्या0सं0 की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(3), 351(2), 317(2) के अन्तर्गत आरोप का गठन कर खुले न्यायालय में हिन्दी में पढकर सुनाया गया, जिससे अभियुक्तों द्वारा इनकार करते हुए विचारण का दावा किया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् दिनांक 23.03.2026 को अभियुक्त का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता– 2023 की धारा 351 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन के घटनाक्रम से पूर्णतः इन्कार किया एवं स्वयं को निर्दोष बताया तथा मामले में झूठा फंसाये जाने की बात कहा है।

6. अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध सूचक के सिर पर धारदार हथियार से मार कर जख्मी करने एवं सोना–चॉदी तथा मोटरसाईकिल छीन लेने के आरोप को युक्ति–युक्त संदेह की छाया से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

साक्ष्य

7. इस मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के क्रम में न्यायालय के समक्ष कुल 7 साक्षियों का मौखिक साक्ष्य कराया गया है, जो क्रमशः निम्नवत हैः–
अभियोजन साक्षी संख्या– 1. पंकज कुमार (PW-1) अनुसंधानकर्ता।
अभियोजन साक्षी संख्या– 2. दयानंद साह (PW-2) पक्षद्रोही साक्षी।
अभियोजन साक्षी संख्या– 3. पप्पु यादव (PW-3) पक्षद्रोही साक्षी।
अभियोजन साक्षी संख्या– 4. जितेन्द्र कुमार साह (PW-4) पक्षद्रोही साक्षी।
अभियोजन साक्षी संख्या– 5. अखिलेश कुमार यादव (PW-5) जब्तीसूची साक्षी।
अभियोजन साक्षी संख्या– 6. नरसिंह राव (PW-6) स्वयं सूचक।
अभियोजन साक्षी संख्या– 7. राजा बाबू (PW-6) सूचक का भाई।

8. अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के क्रम में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराया गया हैः–
प्रदर्श P1/PW-1 आरोप पत्र।
प्रदर्श P2/PW-1 प्राथमिकी आवेदन पर थानाप्रभारी का हस्ताक्षर।
प्रदर्श P3/PW-4 जब्तीसूची पर साक्षी जितेन्द्र कुमार राय का हस्ताक्षर।
प्रदर्श P4/PW-5 जब्तीसूची पर साक्षी अखिलेश कुमार यादव का हस्ताक्षर।
प्रदर्श P5/PW-6 प्राथमिकी आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।

9. इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में न्यायालय के समक्ष कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या– 1. पंकज कुमार (PW-1) अनुसंधानकर्ता ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.08.2024 को सेमापुर ओपी में सहायक अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। उस समय के तत्कालीन थाना प्रभारी हरि प्रसाद यादव ने सेमापुर थाना कांड संख्या– 251/2024 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2),118(1), 109, 303(2), 308 बी.एन.एस. दिनांक 26.08.2024 सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान का भार मुझे दिया गया। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के पश्चात मैंने प्राथमिकी का अवलोकन किया और

उसके बाद वादी का पुनः बयान कांड दैनिकी में दर्ज किया। जख्मी साक्षी राजेश कुमार साह, राजा बाबू का बयान कांड दैनिकी में दर्ज किया। अनुसंधान के क्रम में दिनांक 26.08.2024 को प्राथमिकी नामजद अभियुक्त नीरज कुमार उर्फ बबलू को गिरफतार किये। इसके बाद सेमापर ओपी लेकर आये। उनका सफाई बयान लिया तथा न्यायालय में उपस्थापित कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा। फिर मैं घटनास्थल पर गया। घटनास्थल के गवाह पप्पू यादव, दयानंद साह का बयान दर्ज किया। जख्मी का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त कर मूल कांड दैनिकी में दर्ज किया। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान पूरा करते हुए वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार अभियुक्त नीरज कुमार उर्फ बबलू के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या– 94/2024 दिनांक 28.09.2024 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 351(2), 317(2), बीएनएस न्यायालय में समर्पित किया। आरोप–पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, पहचान रहा हूं। आरोप–पत्र को प्रदर्श– P-1/PW-1 अंकित किया जाता है। प्राथमिकी लिखित आवेदन पर तत्कालीन थाना प्रभारी हरि प्रसाद यादव के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है पहचान रहा हूं। पृष्ठांकन का प्रदर्श P-2/PW-1 अंकित किया जाता है। अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू न्यायालय में उपस्थित है पहचान रहा हूं। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि प्राथमिकी आवेदन के अनुसार घटना 24.08.2024 समय करीब 8 बजे रात में हुई। घटना की सूचना थाने में 26.08. 2024 को समय 9:15 बजे सुबह दी गई थी। मुझे अनुसंधान का भार दिनांक 26.08.2024 को समय करीब 9:15 पर मिला था। घटनास्थल पर हम 26.08.2024 को ही 10:40 बजे गये थे। घटनास्थल पूर्व मुखिया परशुराम मंडल के घर के बगल में चालू रास्ता है। घटनास्थल पर घटना से संबंधित कोई उल्लेखनीय वस्तु बरामद नही हुई थी और न ही कोई सामान बरामद हुआ था। उसी दिन मैंने अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू को 2:15 पर गुंजरा बाजार से गिरफतार किया था। वादी के पुनः बयान का समय कांड दैनिकी में अंकित नहीं किया है। मोटरसाईकिल मैंने दिनांक 26.08.2024 को समय 13:58 बजे चिकनी गांव (अभियुक्त के घर से) जब्त कर जब्ती सूची बनाया था। गुजरा से चिकनी गांव की दूरी लगभग 1 किमी है। आने जाने में 5–10 मिनट लगता है। पहले मैंने सीजर लिस्ट तैयार किया था। सीजर लिस्ट तैयार करने में मुझे 10–15 मिनट समय लगा होगा। जब्ती सूची के गवाह अगल बगल के ही थे। एक गवाह भवानीपुर के तथा एक अन्य चिकनी गांव के थे। भवानीपुर से चिकनी गांव के बीच की दूरी कितनी है, नहीं बता सकता। सूचक एवं अभियुक्त के बीच पहले से पैसे के लेन–देन को लेकर विवाद चल रहा था, इसको मैंने कांड दैनिकी में दर्ज किया है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है और मैंने वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार त्रुटिपूर्ण आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में समर्पित किया है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या– 2. दयानन्द साह (PW-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इस केस के संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है। घटना के विषय में कुछ भी नहीं सुने हैं। पुलिस ने भी मेरा बयान नहीं लिया था। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से किये गए प्रति परीक्षण में साक्षी ने अभियुक्त के मेल में आकर झूठी गवाही देने से तथा सत्य बात छुपाने से इनकार किया हैं। साक्षी ने अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू को पहचानने से इनकार किया है। साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि मैं गांव में ही रहता हूं। चौकीदार के कहने पर आज न्यायालय में गवाही देना आया हूं।

12. अभियोजन साक्षी संख्या– 3. पप्पु यादव (PW-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इस केस के दोनों पक्षों को जानता हूं। मैं नहीं जानता कि किस बात को लेकर झंझट हुआ था। मेरा पुलिस में बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। अभियोजन की ओर से किये गए प्रति परीक्षण में साक्षी ने अभियुक्त के मेल में आकर झूठी गवाही देने से तथा सत्य बात छुपाने से इनकार किया है। साक्षी अभियुक्त को पहचानने का दावा करता है। अभियोजन की ओर से किये गए प्रति परीक्षण में साक्षी ने अभियुक्त के मेल में आकर झूठी गवाही देने से तथा सत्य बात छुपाने से इनकार किया है।

बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि चौकीदार के कहने पर आज न्यायालय में गवाही देने आया हूं। अभियुक्त नीरज मेरा ग्रामीण है इसलिए पहचानता हूं। आज अपनी स्वेच्छा से गवाही दिया हूं।

13.अभियोजन साक्षी संख्या– 4. जितेन्द्र कुमार साह (PW-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह केस किसने किया, मुझे जानकारी नहीं है। यह केस कब की है, यह भी मुझे पता नहीं है। इस केस में दरोगाजी प्रस्तुती सह जब्ती सूची बनाये थे, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, पहचान रहा हूं, जिसे प्रदर्श P-3/P.W-4 अंकित किया जाता हैं। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि मेरा पुलिस ने बयान नहीं हुआ था। जिस कागज पर दस्तखत किया था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। मेरे सामने न तो कोई समान प्रस्तुत किया गया और न हीं मेरे सामने कुछ जब्त हुआ। आज थाना से चौकीदार के कहने पर गवाही देने आया हूं। आज मेरे समक्ष केस से संबंधित कोई समान कोर्ट में नहीं हैं।

14.अभियोजन साक्षी संख्या– 5. अखिलेश कुमार यादव (PW-5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह केस किसने किया है मुझे जानकारी नहीं है। यह घटना 8–9 माह पहले की हैं। इस कांड का जब्ती सूची पर मेरा हस्ताक्षर है, पहचानता हूं, साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श P-4/P.W-5 अंकित किया जाता हैं। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि मेरे सामने कोई समान जब्त नहीं हुआ। जब्ती सूची में क्या लिखा था मैंने पढ़ा नहीं था। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं। आज न्यायालय में गवाही देने पुलिस से सूचना मिलने के बाद आया हूं।

15.अभियोजन साक्षी संख्या– 6. नरसिंह राव (PW-6) स्वयं सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह केस मैं किया हूं। यह घटना दिनांक–24.08.2024 की है। मैं दुकान से वापस आ रहा था। उसी दौरान चंदन नगर मोड़ पर चार अपराधी पहले से घात लगाकर बैठा था, उनलोगों ने मुझे रोक कर मेरे कनपट्टी में रिवाल्वर सटा दिया, फिर उनलोगों में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से मेरे सिर पर वार कर दिया, जिससे मैं अचेत होकर गिर पड़ा, मेरे पीछे बाईक पर कारीगर राजेश साह बैठा हुआ था, जिसके हाथ में थैला था, उसमें दो भर सोना और 400 ग्राम चांदी था, राजेश साह के भी सिर पर वार किया, जिससे उसका सिर भी फट गया और खून बहने लगा तथा वह भी बेहोश होकर गिर गया, उसके बाद मेरा बाईक जिसका नंबर BR 39Y 3076 (CITY 100 BAJAJ) तथा जेवर से भरा थैला लेकर अपराधी भाग गये। उसके बाद बरारी अस्पताल ईलाज करवाने गये फिर थाना में लिखित आवेदन दिया। सम्पूर्ण आवेदन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में हैं, पहचानता हूं, जिसे प्रदर्श P-5/P.W-06 अंकित किया जाता है। आज न्यायालय में अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू उपस्थित है, पहचानता हूं। साक्षी अन्य अभियुक्तों को देखकर पहचानने से इंकार करता है। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि मेरी दुकान गुंजरा हाट में हैं। जहां तीन दुर्गा मंदिर है तथा पंचायत भवन हैं। उसी हाट में अरूण काफिरी का किराना दुकान है तथा विनोद काफिरी का कॉस्मेटिक का दुकान हैं। चन्दन नगर मोड़ के आसपास परशुराम सिंह का घर है जो पूर्व मुखिया थे, वह सड़क चंदन नगर जाने का मुख्य सड़क हैं। 24.08.24 के घटना के पहले मैंने रंगदारी की सूचना दी थी लेकिन उसका प्रति प्राथमिकी के साथ नहीं लगाया था। मेरे कारीगर का घर कटिहार है तथा वो मेरे यहां ही रहता था, वह अभी जीवित हैं। मैं घटनास्थल पर घटना के बाद दो–तीन मिनट तक रहा था। घटना के तुरन्त बाद मैं मोटरसाईकिल से कारीगर को लेकर बरारी अस्पताल गया था। बाईक मैं चला रहा था। अस्पताल से बरारी थाना बगल में ही हैं। रेफरल अस्पताल बरारी में इलाज कराने के बाद बरारी थाने को सूचना दी थी, पुनः कहते है कि सेमापुर थाना सड़क मार्ग से गये थे। अस्पताल में आधा घंटा इलाज हुआ। अस्पताल में मेरा कोई इलाज नहीं हुआ सिर्फ कारीगर का इलाज हुआ था। इलाज कराने के आधा घंटा बाद सेमापुर ओपी पहुंच गये थे। मैं सेमापुर में लगभग एक घंटा रूका था। वहां मैंने पुलिस को बताया की रेफरल अस्पताल बरारी से इलाज करवाकर आया हूं। कारीगर का सिर फटने से कपड़े में खून लगा था तथा जमीन पर खून गिरा था या नहीं हम नहीं देखे। खून लगा कपड़ा

Web Copy Court Katihar

पुलिस ने देखा था। मेरा कारीगर सादा शर्ट और नेवी ब्लू पैंट पहने हुए था। अनुसंधान के क्रम में खून लगा कपड़ा पुलिस ने जब्त नहीं किया था। वह खून लगा कपड़ा अभी मेरे सामने न्यायालय में नहीं हैं। लूटे गए जेवर का कैशमेमों न्यायालय में दाखिल नहीं किये हैं। नीरज मंडल को मैं घटना के एक–डेढ़ साल पहले से जान रहा हूं। नीरज मंडल का घर घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर हैं। नीरज के पिता जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं। इस घटना से पहले मैं नीरज से रूपया नहीं लिया था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इस घटना से पहले नीरज से रूपया लिया था और इस रूपया को मांगने को लेकर विवाद हुआ था। यह सही है कि ग्राम पंचायत विशुनपुर में केस दर्ज हुआ था जिसका केस संख्या–08/2025 है और उस मुकदमें में मैं भी पक्षकार था तथा बतौर पक्षकार मैं हाजिर भी हुआ हूं तथा इस मुकदमें में हाजिर होकर बाद में मैंने अपना पैरवी करना छोड़ दिया। ऐसी बात नहीं है कि नीरज का रूपया गबन करने के उद्येश्य से झूठा केस दर्ज किया हूं तथा झूठी गवाही दे रहा हूं।

16.अभियोजन साक्षी संख्या– 7. राजा बाबू (PW-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह केस नरसिंह राव ने किया हैं। यह घटना 24.08.2024 के समय रात्रि 08:15 की है। उस वक्त मैं अपने घर में था। हल्ला सुनकर मैं घटनास्थल पर गया तो देखा कि वहां पर राजेश साह और नरसिंह राव गिरा हुआ था। इलाज के लिए दोनों जख्मी को मैं सदर अस्पताल बरारी लेकर गया। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था। आज न्यायालय में अभियुक्त नीरज कुमार मंडल और नरसिंह राव उपस्थित है, पहचान रहा हूं। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि सूचक नरसिंह राव मेरा भाई हैं। जहां पर नरसिंह राव गिरा हुआ था वह चन्दन नगर जाने का मुख्य सड़क हैं। घटना के समय गर्मी का दिन था। आस–पास के लोगों से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं गांव में ही रहता हूं। नीरज के पिता राजेन्द्र ने पंचायत में केस किया था मुझे पता हैं। प्रश्न–नीरज के पिता राजेन्द्र ने जो पंचायत में केस किया है इसी से बचने के लिए झूठा केस किया हैं। उतर– मुझे इस बारे में विस्तार से पता नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं सूचक के भाई होने के नाते झूठी गवाही दे रहा हूं।

<u>अभियोजन की ओर से बहस</u>

17.अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपने बहस में कहा है कि सूचक नरसिंह राव के लिखित आवेदन के आधार पर यह मामला निरज कुमार सिंह के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 308(3), 351(2) के अन्तर्गत बरारी थाना कांड संख्या–251/2024 दिनांक 26.08.2024 दर्ज किया गया था, जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अभियुक्त निरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 94/2024 दिनांक 28.09.2024 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(3), 351(2), 317(2) के अन्तर्गत आरोपित करते हुए न्यायालय में समर्पित किया गया था, जिसके आधार पर आरोपित धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया तथा दौरासुपुर्दगी के पश्चात् आरोपित धाराओं में आरोप का गठन किया गया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सूचक का रास्ता रोककर कनपटी पर बन्दूक सटाकर रंगदारी की मांग किया तथा सह अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से सिर पर मारकर सूचक को जख्मी कर दिया गया और सूचक के साथ उसके कारीगर राजेश साह को भी धारदार हथियार से सिर पर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया तथा उसके पास से थैला, जिसमें सोने–चांदी का बना जेवर और सूचक का मोटर साईकिल लेकर भाग गये। अभियोजन कहानी के समर्थन में अनुसंधानकर्ता न्यायालय में उपस्थित होकर प्राथमिकी आवेदन पर तत्कालीन थाना प्रभारी हरि प्रसाद यादव के लिखावट एवं हस्ताक्षर की पहचान किया है, जिसे प्रदर्श P2/PW-2 अंकित किया गया है तथा आरोप–पत्र पर अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर की पहचान किया है, जिसे प्रदर्श P-1/PW-1 अंकित किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी एवं आरोप पत्र को साबित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 4. जितेन्द्र कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या– 5. अखिलेश कुमार यादव ने जब्तीसूची

Web copy of Katihar

पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया है, जिसे प्रदर्श अंकित किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 6. नरसिंह राव स्वयं सूचक ने प्राथमिकी आवेदन का संपूर्ण समर्थन किया है। अभियुक्त के घर से सूचक से लूटी गयी बाईक बरामद किया गया है। अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष परीक्षित अन्य साक्षियों ने भी न्यायालय में अभियुक्त की पहचान किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने संपूर्ण घटना को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित किया है। अत : न्यायहित में आरोपित अभियुक्त को आरोपित धाराओं में वर्णित अधिकतम दंड से दंडित किया जाये।

बचाव पक्ष की ओर से बहस

18. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त निरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार के निर्दोष होने का वकालत करते हुए कहा है कि अभियुक्त को पैसे के लेन देन एवं पूर्व विवाद के कारण झूंठा फंसाया गया है। न्यायालय में चिकित्सक का परीक्षण नहीं कराया गया है तथा अन्य परीक्षित साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या– 2. दयानंद साह (P.W.-2), अभियोजन साक्षी संख्या– 3. पप्पु यादव (P.W.-3), अभियोजन साक्षी संख्या– 4 जितेन्द्र कुमार साह (P.W.-4), अभियोजन साक्षी संख्या– 5. अखिलेश कुमार यादव (P.W.-5) एवं अभियोजन साक्षी संख्या–7 राजा बाबू (P.W.-7) ने घटना का समर्थन नहीं किया है और न हीं घटना के संबंध में कोई जानकारी होने का कथन किया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 4. जितेन्द्र कुमार साह ने कहा है कि जिस कागज पर दस्तखत किया था उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। स्वयं सूचक ने बयान दिया है कि घटनास्थल पर घटना के बाद दो–तीन मिनट तक रहा। घटना के तुरंत बाद मैं मोटरसाईकिल से कारीगर को लेकर बरारी अस्पताल गया। बाईक मैं चला रहा था। सूचक के मुख्य परीक्षण में दिये गये बयान से विदित है कि सूचक एवं कारीगर राजेश कुमार साह एक ही मोटरसाईकिल पर सवार थे तथा राजेश साह बाईक पर पीछे बैठा हुआ था। घटना के तुरंत बाद सूचक द्वारा राजेश साह को ईलाज के लिए मोटरसाईकिल से बरारी अस्पताल जाने की बात कहा गया है, जिससे स्पष्ट है कि कोई मोटरसाईकिल चोरी नहीं किया गया था तथा सूचक ने पुलिस को मेल में लेकर झूठा मामला दर्ज किया है और न्यायालय में झूंठा जब्तीसूची दाखिल किया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने संपूर्ण अभियोजन कहानी एवं घटना को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित नहीं किया है। अतः न्याय हित में अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाये।

साक्ष्य विश्लेषण

19. अब मैं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों की गहन विवेचना एवं मीमांषा इस वाद में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप के आलोक में करूंगा। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि मामले के अभियुक्त निरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(3), 317(2), 351(2) के अन्तर्गत आरोपित हैं और विचारण का सामना कर रहे हैं। मामले में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सूचक का रास्ता रोककर कनपटी पर बन्दूक सटाकर रंगदारी की मांग किया तथा सह अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से सिर पर मारकर जख्मी कर दिया गया और सूचक के साथ मोटर साईकिल पर पीछे बैठे राजेश साह को धारदार हथियार से सिर पर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया तथा राजेश साह के पास से थैला, जिसमें सोने–चांदी का बना जेवर और सूचक का मोटरसाईकिल लेकर भाग गये। आरो. पित अपराध को साबित करने के क्रम में अभियोजन की ओर से परीक्षित महत्वपूर्ण साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या– 6. नरसिंह राव स्वयं सूचक ने बयान दिया है कि वह दिनांक 24.08. 2024 को अपने दुकान से वापस आ रहा था तो उसी दौरान चन्दन नगर मोड़ पर 4 अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे थे। उनलोगों ने उसे रोककर कनपट्टी में रिवाल्वर सटा दिया, जिसमें से एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से सूचक के सिर पर वार किया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा तथा सूचक के बाईक पर पीछे बैठा राजेश साह, जिसके हाथ में थैला था। जिसमें दो भर सोने और 400 ग्राम चांदी था, को लेकर तथा सूचक की बाईक जिसका नं0 BR

Web Copy Civil Court Katihar

39(Y) 3076 CITY HUNDRED BAJAJ को लेकर अपराधी भाग गये। सूचक से किये गये प्रतिपरीक्षण के अनुसार सूचक की दूकान कजरा हाट में है, जहां तीन दुर्गा मन्दिर है तथा पंचायत भवन है, उसी हाट में अरूण कपारी का किराना दूकान, बिनोद कपारी का कॉस्मेटिक दूकान भी है। सूचक ने दिनांक 24.08.2024 के पहले भी अभियुक्त द्वारा रंगदारी मांग किये जाने की बात कहा है। बचाव पक्ष द्वारा किये गये जिरह में बयान दिया गया है कि वह घटनास्थल पर घटना के बाद दो—तीन मिनट तक रहा था। घटना के तुरंत बाद वह मोटर साईकिल से कारीगर राजेश कुमार साह को लेकर बरारी अस्पताल गया था। सूचक द्वारा स्वयं मोटरसाईकिल चलाने की बात कहा गया है। आगे कहा है कि रेफरल अस्पताल बरारी में ईलाज कराने के बाद बरारी थाने को सूचना दिया था तथा अस्पताल में आधा घंटा ईलाज हुआ था। अस्पताल में मेरा कोई ईलाज नहीं हुआ। सिर्फ कारीगर का ईलाज हुआ था। अस्पताल में ईलाज कराने के आधा घंटा बाद सेमापुर ओ0पी0 पहुंच गये थे। जहां एक घंटा रूका था। सूचक द्वारा आगे बयान दिया गया है कि कारीगर का सिर एवं कपड़ा में खून लगा था तथा जमीन पर खून गिरा था। खून लगा कपड़ा पुलिस ने देखा था, परन्तु खून लगा कपड़ा पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में जब्त नहीं किया था। सूचक द्वारा अभियुक्त निरज मंडल को घटना के एक—डेढ़ साल पहले से जानने की बात कहा है तथा अभियुक्त के पिता जन वितरण प्रणाली के विक्रेता होने की बात कहा है। सूचक द्वारा इस बात से इन्कार किया गया है कि उसने निरज से रूपया लिया था। सूचक द्वारा इस बात से इन्कार किया गया है कि वह घटना के पहले उसने निरज से रूपया लिया था, जिसको मांगने पर विवाद हुआ था। सूचक द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पंचायत विष्णुपुर में केस संख्या— 8/2025 दर्ज हुआ था, जिसमें वह भी पक्षकार थे तथा बतौर पक्षकार वह हाजिर भी हुआ था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या— 1. पंकज कुमार अनुसंधानकर्ता के मुख्य परीक्षण के आधार पर आरोप पत्र को प्रदर्श— P1/PW-1 तथा प्राथमिकी आवेदन पर थाना प्रभारी हरि प्रसाद के लिखावट एवं हस्ताक्षर को प्रदर्श— P2/PW-1 अंकित किया गया है, जिसके आधार पर अभियोजन द्वारा प्राथमिकी आवेदन एवं आरोप पत्र को साबित किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की बात कहा गया है तथा यह भी बयान दिया गया है कि घटनास्थल पर घटना से संबंधित कोई उल्लेखनीय वस्तु बरामद नहीं हुई थी। अनुसंधानकर्ता द्वारा आगे बयान दिया गया है कि दिनांक 26.08.2024 को शाम 13.58 बजे चिकनी गांव में अभियुक्त के घर से मोटर साईकिल जब्त कर जब्तीसूची बनाया था। अभियोजन साक्षी संख्या— 4. जितेन्द्र कुमार सिंह (PW-4) जब्तीसूची के साक्षी ने घटना के संबंध में कोई जानकारी होने से इन्कार किया है, परन्तु जब्तीसूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया है, जिसे प्रदर्श— P3/PW-4 अंकित किया गया है। साक्षी द्वारा कहा गया है कि जिस कागज पर दस्तखत किया था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। मेरे सामने न तो कोई सामान प्रस्तुत किया गया था और न ही मेरे सामने कुछ जब्त हुआ था। अभियोजन साक्षी संख्या— 5. अखिलेश कुमार यादव (PW-5) जब्तीसूची के साक्षी ने जब्तीसूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया है, जिसे प्रदर्श— P4/PW-5 अंकित किया गया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उसके सामने कोई सामान जब्त नहीं हुआ था। जब्तीसूची में क्या लिखा था, उसको पढ़ा नहीं था। घटना के संबंध में कोई जानकारी होने से भी इन्कार किया है। प्रदर्श P3/PW-4 एवं प्रदर्श P4/PW-5 के अवलोकन से विदित है कि CITY 100 MOTORCYCLE Reg. No- Br 39Y 3076 निरज कुमार मंडल पिता राजेन्द्र प्रसाद मंडल निवासी साकिन चिकनी, थाना बरारी के घर से बरामद किया गया, जिससे स्पष्ट है कि इस मामले में सूचक से लूटी गयी मोटरसाइर्सकिल अभियुक्त के घर से पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, परन्तु प्राथमिकी आवेदन में सूचक द्वारा बयान दिया गया है कि CITY 100 MOTORCYCLE Reg. No- Br 39Y 3076 मोटर साईकिल उसकी थी, जिसके संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी कटिहार से प्रतिवेदन प्राप्त है कि उक्त मोटरसाईकिल राजेश साह के नाम से दर्ज है। सूचक द्वारा प्राथमिकी आवेदन में वर्णित किया गया है कि उसके सिर पर धारदार हथियार से

Web copy of Civil Court Katihar

मार दिया गया गया था, जिससे वह अचेत होकर वही गिर पड़ा था परन्तु स्वयं सूचक ने न्यायालय में परीक्षण के दौरान बयान दिया है कि अस्पताल में मेरा कोई ईलाज नहीं हुआ था केवल कारीगर का इलाज हुआ था। मामले में चिकित्सक का बयान दर्ज करने हेतु न्यायालय द्वारा समन, जमानतीय अधिपत्र एवं अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है, परन्तु अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्ष्य के लिए पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी चिकित्सक का न्यायालय में परीक्षण नहीं कराया गया है। सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दिया है, परन्तु अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने एवं सूचक के कारीगर राजेश साह के विरूद्ध साक्ष्य के लिए समस्त प्रक्रिया निर्गत करने के बावजूद भी अभिलेख अभियोजन साक्ष्य पर नियत होने की जानकारी होने के बाद भी सूचक नरसिंह राव ने अपने कारीगर जख्मी राजेश साह का बयान न्यायालय में नहीं कराया है।

20. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के साथ खड़े व्यक्ति द्वारा सूचक के सिर पर धारदार हथियार से हमला करने जिससे सूचक के अचेत होकर गिर पड़ने तथा सूचक के कारीगर राजेश साह के सिर पर भी धारदार हथियार से मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिये जाने, जिससे उसके बेहोश होकर गिर जाने तथा जेवर से भरे थैले एवं सूचक की मोटर साईकिल को लेकर भाग जाने के आरोप को साबित करने के क्रम में स्वयं सूचक ने बयान दिया है कि अस्पताल में मेरा कोई ईलाज नहीं हुआ है, अर्थात् सूचक के सिर पर अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से हमला करने जिससे सूचक बेहोश होकर गिर गया था, के संबंध में किया गया कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है। जहां तक सूचक के मोटरसाईकिल एवं गहने से भरा थैला लेकर भाग जाने की बात है तो इस संबंध में भी स्वयं सूचक द्वारा बयान दिया गया है कि घ टनास्थल पर घटना के बाद दो–तीन मिनट तक रहा था। घटना के तुरंत बाद मैं मोटरसा. ईकिल से कारीगर को लेकर बरारी अस्पताल गया। बाईक मैं चला रहा था, जबकि मुख्य परीक्षण के अनुसार घटना के समय भी सूचक मोटरसाईकिल चला रहा था तथा कारीगर राजेश साह पीछे बैठा था, अर्थात् सूचक एवं राजेश साह एक ही मोटरसाईकिल से घटना के समय आ रहे थे तथा घटना के बाद भी मोटरसाईकिल से सूचक कारीगर को लेकर अस्पताल गया था। इस प्रकार मोटरसाईकिल लेकर भाग जाने के संबंध में लगाया गया आरोप भी संदेहास्पद हो जाता है। अभियोजन साक्षी संख्या– 7. राजा बाबू के बयान के अनुसार हल्ला सुनकर वह घ टनास्थल पर गया तो देखा कि राजेश साह एवं नरसिंह राव गिरा हुआ था तथा ईलाज के लिए यह साक्षी दोनों को सरकारी अस्पताल बरारी ले गया, जबकि स्वयं सूचक द्वारा बयान दिया गया है कि उसका कोई ईलाज ही नहीं हुआ तथा वह घटना के बाद मोटरसाईकिल से राजेश साह को अस्पताल लेकर गया था। सूचक के बयान के अनुसार अभियुक्त द्वारा उसकी मोटरसाईकिल को छिना गया है, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जब्त मोटरसाईकिल सूचक की है ही नहीं, वह राजेश साह के नाम से पंजीकृत पायी गयी है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष परीक्षित साक्षियों ने आपस में एक दूसरे के विरोधाभाषी बयान दिया है, जिससे संपूर्ण अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है, तदनुसार अभियोजन ने मामले को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित नहीं किया है।

21. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि अभियोजन मामले में अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(3), 317(2), 351(2) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, तदनुसार अभियुक्त आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का हकदार है, फलतः ओदश पारित किया जाता है:–

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत मामले के अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(3), 317(2), 351(2) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में

Webcopy of Katihar

है। अतः कार्यालय को निर्देष दिया जाता है कि अभियुक्त नीरज कुमार मंडल उर्फ गोलू कुमार के कारा से निर्मुक्ति हेतु तत्काल मुक्ति आदेश निर्गत करें।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,नवम्, कटिहार।
दिनांक 29.04.2026

यह निर्णयादेश मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,नवम्, कटिहार।
दिनांक 29.04.2026

Web Copy of Civil Court, Katihar

In the court of Addl.Sessions Judge - IX, Katihar.

District:- Katihar (Bihar)

Present:- Mahendra Prasad Yadava

Judgment Date:- 29-04-2026

Session Trial No.- 02/2025

G.R.No.- 4520/2014, CIS No.-02/2025

Barari P.S. Case No.- 251/2024
F.I.R. U/Sec.- 126(2),115(2),118(1),109,303(2),351(2)317(2) of the B.N.S.
(Cognizance U/Sec.- 126(2),115(2),118(1),109,303(2),351(2) of the B.N.S
Charge U/Sec.- 126(2),115(2),118(1),109,303(3),351(2)317(2) 3(5) of the B.N.S

Informant	Narsingh Rao S/o Late Ramdev SahAged about 31 Yrs. Residing at village- Chandan Nagar, P.O- Bisanpur , P.S.- Semapur, District:- Katihar, Bihar.
Presented by:-	Ld. Addl. P.P. Sardar Yashwant Singh
Accused:-	1. Niraj Kumar @ Golu, S/O Rajendra Kapri@ Tunna Deelar, Aged about 25 yrs. Resididng at village – Chandanpur, P.S- Barari(Semapur) , District:- Katihar, Bihar.
Presented by:-	Ld. Adv. Shri Ajeet Kumar Modi

FORM-B

Date of Offence	26-08-2024
Date of Complaint	26-08-2024
Date of Chargesheet	28-09-2024
Date of Framing of Charges	13-02-2025
Date of Commencement of evidence	12-03-2025
Date on which Judgement is reserved	29-04-2026
Date of Judgment	29-04-2026
Date of Sentencing Order, if any	None

Accused Details:

Accused Rank	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period Detention Undergone During trial for Purpose of section428, Cr.PC
1	Niraj Kumar Mandal @ Golu	26-08-2024	Still Custody	126(2),115(2),118(1),109 ,303(3),351(2)317(2) 3(5) of the B.N.S	Acquitted	None	None

(Mahendra Prasad Yadava)
Addl. Sessions Judge- IX,
Katihar
Date:- 29-04-2026

Web copy of court, Katihar

Web Copy of Civil Court, Katihar

APPENDIX

In the court of Addl.Sessions Judge - IX, Katihar.

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
PW- 1.	Pankaj Kumar	I.O.
PW- 2.	Dayanand Sah	Hostile Witness
PW- 3.	Pappu Yadav	Hostile Witness
PW- 4.	Jitendra Kumar Sah	Seizure list Witness
PW- 5.	Akhilesh Kumar Yadav	Seizure list Witness
PW- 6.	Narsingh Rao	Informant
Pw-7.	Raja Babu	Brother of informant

B. Defence Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
DW1	None	None

C. Court Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
DW1	None	None

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTEXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit P-1/PW-1	Chargesheet
2.	Exhibit P-2/PW-1	Indorsement on written application by Officer Incharge Hari Pd. Yadav.
3.	Exhibit P-3/PW-4	Singnature of P.W.4 on seizure list.
4.	Exhibit P-4/PW-5	Singnature of P.W.5 on seizure list.
5.	Exhibit P-5/PW-6	Written statement in the wring and signature of informant Narsingh Rao.

B. Defense:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	None	None

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	None	None

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1.	None	None

(Mahendra Prasad Yadava)
Addl. Sessions Judge- IX,
Katihar
Date:- 29-04-2026

Date of Judgment	29-04-2026
Date of reserve Judgment	29-04-2026
Uploading Date	29-04-2026
Uploaded by	